In the

Reserve Bank of India

Foreign Exchange Department

Ahmedabad-380009

भारतीय रिज़र्व बैंक

विदेशी मुद्रा विभाग

अहमदाबाद 380009

में उपस्थित / Present

आशीष गोगिया / Ashish Gogia

सहायक महाप्रबंधक / Assistant General Manager

दिनांक: 2 नवम्बर 2018 / November 2, 2018

सेफा.सीओ सं: 10757 / सी.ए.अह: 108 / 2018-19

CEFA.CO.ID.10757 / C.A. No. AHM - 108 / 2018-19

प्रकरण / Matter

टीबीईए सोलर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड / TBEA Solar (India) Pvt. Ltd.

(CIN: U40106GJ2015PTC082263)

टीबीईए ग्रीन एनर्जि पार्क, नेशनल हाइवे सं. 8

मियागाम करजन, जिला: वडोदरा - 391240

TBEA Green Energy Park, National Highway No. 8

Miyagam Karjan, Dist: Vadodara - 391240

गुजरात / Gujarat

(आवेदक) / (Applicant)

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 की धारा 15(1) तथा इसके अंतर्गत बनाए गये विनियम/नियम/अधिसूचना/आदेश द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं यह आदेश पारित करता हूँ:

In exercise of the powers conferred under Section 15(1) of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Regulations/Rules/Notifications/Orders made there under, I pass the following order:

आदेश / Order

आवेदक द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत जारी विनियमों के उल्लंघनों को कंपाउंडिंग करने हेतु दिनांक 2 अगस्त 2018 (भारतीय रिज़र्व बैंक में दिनांक 13 अगस्त 2018 को प्राप्त) को कंपाउंडिंग आवेदन दिया गया था। निम्नलिखित फेमा उल्लंघनों की कंपाउंडिंग की जानी है: (i) भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति को शेयर जारी करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक को निर्धारित 30 दिनों से अधिक विलंब से फार्म एफ़सी-जीपीआर प्रस्तुत करना तथा (ii) शेयरों को जारी करने की तिथि से निर्धारित 180 दिनों की अवधि के बाद प्रेषण की प्राप्ति करना; यथासंशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/2000-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 की अनुसूची 1 के क्रमश: पैरा 9(1) (बी) तथा 8 [इसके बाद विनियमावली फेमा 20/2000-आरबी के रूप में संबोधित] के अनुसार।

The applicant has filed compounding application dated August 2, 2018 (received at Reserve Bank of India on August 13, 2018) for compounding of contraventions of the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (the FEMA) and the regulations issued there under. The contraventions sought to be compounded are (i) delay beyond 30 days in submission of Form FC-GPR to the Reserve Bank after issue of shares to a person resident outside India; and (ii) delay in receipt of share application money beyond stipulated period of 180 days from the date of allotment of shares; in terms of paragraphs 9(1)(B) and 8 respectively, of Schedule 1 to Foreign

Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000 notified, vide Notification No. FEMA 20/2000-RB dated May 3, 2000 and as amended from time to time (hereinafter referred to as Notification No. FEMA 20/2000-RB).

2. मामले के प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं:

आवेदक कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अधीन दिनांक 14 फ़रवरी 2015 को निगमित हुई (CIN: U40106GJ2015PTC082263)। यह कंपनी अन्य विद्युत उपकरण के उत्पादन में कार्यरत है जिसका एनआईसी कोड 27900 है। आवेदक कंपनी को विदेशी निवेशक टीबीईए शिनजियांग सुनोआसिस कं. लि. (चीन) से स्वतः अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत **₹50,000/-** की कुल दो आवक राशियां प्राप्त हुई। कंपनी ने **₹50,000/-** राशि के शेयर जारी किए।

The relevant facts of the case are as follows:

The applicant company was incorporated on February 14, 2015 under the provisions of the Companies Act, 2013 (CIN: U40106GJ2015PTC082263). The company is engaged in manufacture of other electrical equipment having NIC Code: 27900. The applicant company has received two inflows amounting to **₹50,000/-** from foreign investor TBEA Xinjiang Sunoasis Co. Ltd. (China) under automatic route. Company has issued the shares for amount of **₹50,000/-.**

3. दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000 **-** आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(ए)**:**

Para 9 (1) (A) - Schedule 1 of Notification No. FEMA 20/2000-RB dated May 3, 2000:

(तालिका A**) (Table -A)**

क्र. सं. Sr. No.	**विदेशी आवक विप्रेषण की राशि / Amount of foreign inward remittance (₹)**	**प्राप्ति की तिथि / Date of receipt**	**आरबीआई को रिपोर्ट करने की तिथि* / Date of reporting to RBI***	**30 दिन से अधिक का विलंब (दिनों में) / Days delay excluding prescribed time of 30 days**
1	48,570	15-02-2018	14-03-2018	No delay
2	1,430	05-03-2018	16-03-2018	No delay
Total B	**50,000**			

**9(1) (ए) के अंतर्गत विलंब की गणना करते समय एडी बैंक को आवक राशि रिपोर्ट करने की तिथि माना गया।*

****** The date for calculation of delay under 9(1) (A) taken as date of inflow reporting by Company to AD.*

4. उपर्युक्त तालिका A से स्पष्ट है कि आवेदक ने **₹50,000/-** की कुल दो आवक विप्रेषण राशि प्राप्ति की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक, अहमदाबाद के क्षेत्रीय कार्यालय को 30 दिन की निर्धारित समय सीमा के भीतर दी। जबकि अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9 (1) (ए) के अनुसार, शेयर जारी करने वाली किसी भारतीय कंपनी को इन विनियमों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक को यह सूचना निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार आवक राशि की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर देनी होती है। इस प्रकार कंपनी ने 3 मई 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000 - आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(ए) के अनुसार निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है।

As indicated in the Table A above, the applicant reported the receipt of two inward remittances, amounting to **₹50,000/-** to the Ahmedabad Regional Office of the Reserve Bank of India within the prescribed period of 30 days. Whereas, in terms of paragraph 9 (1) (A) of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000-RB, an Indian company issuing shares in accordance with these Regulations should report to the Reserve Bank of India, as per the prescribed procedure, not later than 30 days from the date of receipt of the amount of consideration. Thus, the company does not stand to contravene the provisions stipulated in paragraph 9(1) (A) of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000-RB dated May 3, 2000**.**

5. आवेदक ने इक्विटी शेयर आवंटित किए तथा निम्नानुसार एफ़सीजीपीआर फ़ाइल की:
The applicant allotted equity shares and filed FC-GPRs as stated below:

दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(बी)**:**
Para 9 (1) (B) - Schedule 1 of Notification No. FEMA 20/2000-RB dated May 3, 2000:

(तालिका B) (Table -B)

क्र. सं. Sr. No.	**जारी किए शेयर की संख्या No of shares issued**	**शेयर की राशि Amount of shares (₹)**	**शेयर जारी करने की तिथि Date of issue of shares**	**आरबीआई को एफ़सीजीपीआर प्रस्तुत करने की तिथि * Date of submission of**	**30 दिन से अधिक का विलंब (दिनों में) Days delay excluding prescribed**

				FC-GPR to RBI *	time of 30 days
1	5,000	50,000	14-02-2015	04-05-2018	1145

** 9(1) (बी) के अंतर्गत विलंब की गणना करते समय एडी बैंक को रिपोर्ट करने की तिथि माना गया।*

** For calculation of days of delay under 9(1) (B) date of reporting to AD bank is taken as reporting to RBI.*

6. उपर्युक्त तालिका B से स्पष्ट है कि आवेदक ने **₹50,000/-** की राशि एक फार्म एफ़सी-जीपीआर लगभग 1145 दिनों के (निर्धारित अवधि 30 दिन) विलंब से फ़ाइल किया है। जबकि 3 मई 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा/ 20/2000 - आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(बी) के अनुसार शेयर जारी करने वाली किसी भारतीय कंपनी को इन विनियमों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक को एफ़सीजीपीआर प्रारूप में उसमें निर्धारित दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट विदेशी निवेशक को शेयर आवंटन करने के 30 दिनों के अंदर किया जाना होता है। इस प्रकार कंपनी ने 3 मई 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000 - आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(बी) के अनुसार निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

As indicated in the Table B above, the applicant has filed one Form FC-GPR amounting to **₹50,000/-**. with a delay of approximately 1145 days beyond the prescribed period of 30 days. Whereas, in terms of paragraph 9(1) (B) of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000-RB, an Indian company issuing shares in accordance with these Regulations has to submit to the Reserve Bank of India, a report in form FC-GPR, along with documents prescribed therein, within 30 days from the date of issue of shares to the overseas investor. Thus, the company stands to contravene the provisions stipulated in Paragraph 9 (1) (B) of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000- RB dated May 3, 2000.

7. फेमा 20/2000-आरबी दिनांक 3 मई 2000 की अनुसूची 1 के पैरा 8 का उल्लंघन:
Contravention under Para 8 of Notification No. FEMA 20/2000-RB dated May 3, 2000:

(तालिका C) (Table -C)

क्र. सं. Sr. No.	प्राप्ति की तिथि / Date of receipt	शेयर की राशि Amount of shares (₹)	शेयर जारी करने की तिथि Date of issue of Shares	180 दिन से अधिक का विलंब (दिनों में) Days delay excluding prescribed time of 180 days
1	15-02-2018	50,000	14-02-2015	917
		50,000		

8. दिनांक 3 मई, 2000 आरबी की अधिसूचना फेमा 20/2000 की अनुसूची 1 के पैरा 8 के अनुसार यह पाया गया है की **₹50,000/-** की शेयर आवेदन राशि, शेयर जारी करने के 180 दिन की निर्धारित सीमा के बाद लगभग 917 दिनों के विलंब से, भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना प्राप्त की गई। जबकि विनियमावली 20 के शैड्यूल 1 के पैरा 8 के प्रावधानों के अनुसार शेयर जारी करने वाली भारतीय कंपनी को भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को शेयर जारी करने के 180 दिन के भीतर विप्रेषण राशि प्राप्त करनी चाहिए। इस प्रकार कंपनी ने दिनांक 3 मई, 2000 आरबी की अधिसूचना फेमा 20/2000 की अनुसूची 1 के पैरा 8 में निर्धारित किये प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

It is observed that shares application money amounting to **₹50,000/-** was received with the delay of approximately 917 days beyond stipulated period of 180 days without obtaining prior approval from Reserve Bank of India from the date of issue of shares as stipulated in Paragraph 8 of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000-RB dated May 3, 2000. Whereas, in terms of Para 8 of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000-RB, an Indian Company issuing shares in accordance with these Regulations has to receive remittance within 180 days from the date of issue of shares to person resident outside India. Thus, the Company stands to contravene the provisions in Para 8 of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000 – RB dated May 3, 2000.

9. आवेदक को दिनांक 23 अक्तूबर 2018 के हमारे पत्र संख्या एफ़ई.अह.608/06.04.15 (A)/CEFA/2018-19 द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में स्वयं उपस्थित होकर तथा / अथवा दस्तावेज यदि कोई हो, प्रस्तुत करने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिए एक अवसर दिया गया। व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 30 अक्तूबर 2018 को आवेदक के प्रतिनिधि श्री रविश सिंह, विधि परामर्शदाता उपस्थित रहे। आवेदक के प्रतिनिधि ने माना कि उनसे उपर्युक्त स्पष्ट किए गए उल्लंघन हुए हैं जिनके लिए माफी मांगी गई और कहा कि अननुपालन जानबूझकर नहीं किया गया है और कंपनी की ओर से अनजाने में त्रुटि हुई थी और कंपनी उसके लिए खेद प्रदर्शित करती है तथा उदार दृष्टिकोण रखने के लिया प्रार्थना करती है। वे अपने आवेदन के संबंध में कंपाउंडिंग प्राधिकारी के किसी भी निर्देश/ आदेश को स्वीकार करने को तैयार हैं।

The applicant was given an opportunity for personal hearing vide our letter FE.AH.No.608/06.04.15 (A)/CEFA/2018-19 dated October 23, 2018 for further submission in person and / or producing documents, if any, in support of the application. Shri Ravish Singh, Legal Consultant of the Company represented the applicant for the personal hearing on October 30, 2018. Representative of the applicant admitted to the contraventions for which compounding has been sought and stated that the non-compliance was not intentional and was an inadvertent error on the part of the Company and they deeply regret the delay caused and requested to take lenient view. They also stated that they are willing to accept any direction/ order of the Compounding Authority in connection with their compounding application.

10. आवेदक के प्रतिनिधि ने प्रार्थना की कि उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए आवेदन के निपटान में उदार दृष्टिकोण अपनाया जाए। अतः कंपाउंडिंग के लिए किए गए आवेदन पर आवेदक द्वारा किए गए प्राक्कथनों तथा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों तथा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा इस संबंध में किए गए प्रस्तुतिकरणों के आधार पर विचार किया गया है।

The representative of the applicant requested that in view of the foregoing, a lenient view may be taken in disposal of the application. The application for compounding is, therefore, being considered on the basis of the averments made in the application as well as other documents and submissions made in this context by the applicant during personal hearing and thereafter.

11. दिनांक 2 अगस्त 2018 के कंपाउंडिंग आवेदन में आवेदक द्वारा यह घोषित किया गया है कि आवेदन में दिया गया विवरण उनकी श्रेष्ठ समझ एवं मान्यता के अनुसार सत्य एवं सही है। कंपाउंडिंग आवेदन के साथ दी गई अंडरटेकिंग में आवेदक ने यह घोषित किया है कि आवेदन की तिथि को किसी भी एजेंसी द्वारा उनके विरुद्ध कोई भी जांच/जांच-पड़ताल/अधिनिर्णयन नहीं किया जा रहा था तथा इस संबंध में आवेदक ने तत्पश्चात किसी भी एजेंसी द्वारा उनके विरुद्ध कोई भी जांच/जांच-पड़ताल/अधिनिर्णयन प्रारम्भ होने की सूचना नहीं दी है। आगे यह भी घोषित किया गया है कि आवेदक ने फेमा, 1999 की धारा 17

अथवा 19 के तहत कोई भी अपील नहीं की है। तदनुसार, उक्त उल्लंघन जो कि इस आदेश में कम्पाउण्ड किए जा रहें हैं वे आवेदक द्वारा दी गई उक्त घोषणा की सच्चाई के अधीन है तथा यह आदेश वर्तमान क़ानूनों के तहत किसी भी प्राधिकरण द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई के प्रति पूर्वाग्रह के बिना है और अगर तत्पश्चात उक्त घोषणा झूठी एवं गलत होने का पता चलता है तो प्राधिकरण द्वारा वर्तमान कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

It has been declared in the compounding application dated August 2, 2018 that the particulars given by the applicant in the application are true and correct to the best of their knowledge and belief. It has been declared in the undertaking furnished with the compounding application that the applicant was not under any enquiry / investigation / adjudication by any agency as on the date of the application and has, in this regard, not informed of initiation of any such enquiry /investigation / adjudication proceedings against it/him/her thereafter. It has further been declared that the applicant has not filed any appeal under section 17 or section 19 of FEMA, 1999. Accordingly, the above contraventions which are being compounded in this Order are subject to the veracity of the above declarations made by the applicant and this order is without prejudice to any other action which may be taken by any authority under the extant laws if the said declarations are subsequently discovered to be false and/or incorrect.

12. मैंने रेकॉर्ड में उपलब्ध दस्तावेजों आवेदक द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया। मेरे अनुसार आवेदक ने निम्नलिखित फेमा प्रावधानों का निम्नानुसार उल्लंघन किया है:

I have given my careful consideration to the documents on record and submission made by the applicant. Accordingly, I hold that the applicant has contravened the following FEMA provisions issued in terms of:

ए) विनियमावली 20/2000 -आरबी दिनांक 3 मई 2000 की अनुसूची 1 के पैरा 9 (1) (बी) का उल्लंघन : इस आदेश के पैरा 6 में उल्लिखितानुसार शेयर जारी करने हेतु विदेशी आवक

विप्रेषण प्राप्ति की रिपोर्टिंग में विलंब। इस संबंध में उल्लंघन राशि ₹50,000/- है तथा विलंब की अवधि लगभग 1145 दिनों की है।

Paragraph 9 (1) (B) of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000- RB dated May 3, 2000: Due to delay in reporting of receipt of foreign inward remittances towards subscription of shares as detailed in paragraph 6 above. The amount of contravention involved is ₹50,000/- and the delay is for approximately 1145 days.

बी) 3 मई 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000 - आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 8 का उल्लंघन : उक्त के पैरा 8 में दिये विस्तृत ब्योरे के अनुसार भारत से बाहर के निवासी व्यक्तियों को शेयर जारी करने के बाद शेयर आवेदन राशि प्राप्त करने में विलंब। इस उल्लंघन के लिए उल्लंघन राशि ₹50,000/- है तथा विलंब की अवधि लगभग 917 दिनों की है।

Paragraph 8 of Schedule 1 of FEMA Notification FEMA 20/2000 – RB dated May 3, 2000: Due to delay in receipt of share application money after issue of shares to persons resident outside India as detailed in paragraph 8 above. The amount of contravention involved is ₹50,000/- and the delay is for approximately 917 days.

13. फेमा की धारा 13 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति फेमा प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो न्यायिक प्रक्रिया के बाद वह उल्लंघन राशि के तीन गुना तक के दंड के लिए उत्तरदायी होगा। परंतु ऊपर के पैरा में उल्लिखित मामले की परिस्थितियों तथा संबंधित साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उनके आधार पर मैं उल्लंघनों को कम्पाउंड करने की राशि के संबंध में उदार दृष्टिकोण अपनाने के लिए बाध्य हूँ तथा मानता हूँ कि दंड की राशि ₹53,420/- (त्रेप्पन हज़ार चार सौ बीस रुपए मात्र) न्याय की अपेक्षाओं को पूरा करेगा।

In terms of Section 13 of the FEMA, any person contravening any provision of the Act shall be liable to a penalty up to thrice the sum involved in such contravention upon adjudication. However, taking into account the relevant facts and circumstances of the case as stated in the foregoing paragraphs, I am persuaded to take a lenient view on the amount for which the contraventions are to be compounded and therefore, I consider that amount of penalty of ₹53,420/- (Rupees Fifty three thousand four hundred twenty only) will meet the ends of justice.

14. तदनुसार, फेमा (कंपाउंडिंग कार्यवाही) नियम 2000 के अंतर्गत ₹53,420/- (त्रेप्पन हज़ार चार सौ बीस रुपए मात्र) की राशि के भुगतान पर मैं उपर्युक्त चर्चित तथ्यों पर आवेदक द्वारा माने गए उल्लंघनों, यथा 3 मई 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000 - आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(बी) तथा पैरा 8 के उल्लंघन, को कम्पाउण्ड करता हूँ । इस आदेश के 15 दिन के भीतर आवेदक को "भारतीय रिज़र्व बैंक" के पक्ष में दंडात्मक राशि ₹53,420/- (त्रेप्पन हज़ार चार सौ बीस रुपए मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, ला गज्जर चैंबर्स, आश्रम रोड, अहमदाबाद 380009 के पास जमा करना होगा। निर्धारित अवधि के भीतर दंडात्मक राशि को जमा नहीं करने पर विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग कार्यवाही) दिनांक 3 मई 2000 के नियम 10 लागू होंगे।

Accordingly, I compound the admitted contraventions, namely contravention of paragraph 9(1) (B) and 8 of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000-RB dated May 03, 2000, by the applicant, on the facts discussed above in terms of the Foreign Exchange (Compounding Proceedings) Rules, 2000 on payment of an amount of ₹53,420/- (Rupees Fifty three thousand four hundred twenty only) which shall be deposited by the applicant with the Reserve Bank of India, Foreign Exchange Department, La-Gajjar Chambers, Ashram Road, Ahmedabad –380 009 by a demand draft drawn in favour of the "Reserve Bank of India" and payable at Ahmedabad within a period of 15 days from the date of this order. In case of failure to deposit the compounded amount within the above mentioned period, Rule 10 of the Foreign Exchange (Compounding Proceedings) Rules, 2000 dated May 3, 2000 shall apply.

आवेदन तदनुसार निपटाया गया।
The application is disposed of accordingly.

दिनांक: 2 नवम्बर 2018 को जारी
Dated the 2nd day of November, 2018.

(आशीष गोगिया / Ashish Gogia)
सहायक महाप्रबंधक / Assistant General Manager